संख्या-119 /2024/1/720921 /2024/71-1002/51/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनाँक 21 अगस्त, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज , कानपुर में 55 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत सर्जरी विभाग में प्राइवेट वार्ड, लेक्चर हाल तथा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/निर्माण /2024-25/67, दिनांक 20.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज , कानपुर में 55 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत सर्जरी विभाग में प्राइवेट वार्ड, लेक्चर हाल तथा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उपलब्ध कराये गये डी0पी0आर0 रू0 1945.70 लाख की प्रति प्रेषित करते हुए पी0एफ0ए0डी0 से मूल्यांकन कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना (फेज-2) के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेज , कानपुर में 55 पी0जी0 सीटों की वृद्धि के दृष्टिगत **सर्जरी विभाग में प्राइवेट वार्ड, लेक्चर हाल तथा प्रशासनिक भवन निर्माण कार्य** हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 1856.07 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में **रू0 250.78 लाख (केन्द्रांश रू0 150.868 लाख व राज्यांश रू0 99.912 लाख)** की धनराशि, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर एस0एन0ए0 खाते में रक्षित धनराशि में से हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. प्रयोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। मात्राओं एवं उच्च विशिष्टियों को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।

3. प्रायोजनानतर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की दर से धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 अलग से सम्मिलित न हो।

4. प्रायोजनान्तर्गत वाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू0 15.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है, जिसके सापेक्ष प्रभाग द्वारा लागत रू0 10.00 लाख अनुमन्य की गयी है। निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाए तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाए।

5. प्रायोजनान्तर्गत बेड, लिफ्ट, सब स्टेशन उपकरण, डी0जी0 सेट, सी0सी0टी0वी0, आडियो वीडियो सिस्टम, साइनेज व यू0पी0एस0 सिस्टम की लागत को इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एंव स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए।

6. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।

7. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एंव कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

9. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एंव भविष्य में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

10. प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

12. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैक एंव डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

13. प्रायोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in